कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक– 5.5(ggPM)

सेवा में,

A.D. 18.12.17

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, महाराजगंज(सीवान)
जिला – सीवान

15 DEC 2017
प्राप्ति तिथि

महाशय,

नगर पंचायत, महाराजगंज के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 654 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14696 / 289 दिनांक– 28.11.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी सीवान

पत्र पंजी
18 DEC 2017
12414

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या :–654 / 17–18

भाग–1

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, महाराजगंज (सीवान)	
2	लेखा की अवधि	2014–15 से 2016–17	
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	तेरहवां / चौदहवां वित्त आयोग, चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, मुद्रांक शुल्क मद से ली गई योजनाओं से संबंधित रोकड़बही, बैंक पासबुक, योजना अभिलेख, योजना पंजी, होल्डिंग रसीद, विविध रसीद, सैरात बंदोबस्ती पंजी, अग्रिम पंजी एवं भुगतान अभिश्रव।	
4	लेखापरीक्षा की अवधि	12.07.2017 से 18.07.2017 तक	
5	**प्रशासन**	**नाम**	**अवधि**
	(क) अध्यक्ष	1. श्रीमती शारदा देवी	09.06.2012 से 06.06.2017
	(ख) उपाध्यक्ष	1. श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह	09.06.2012 से 06.06.2017
	(ग) कार्यपालक पदाधिकारी	1. श्री संतोष कुमार (प्रभारी) 2. श्री रवि राज (प्रभारी) 3. श्री बसंत कुमार	01.04.2014 से 01.08.2015 01.08.2015 से 06.09.2015 06.09.2015 से 31.03.2017
6.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री महेश प्रसाद, वरीय लेखापरीक्षक 2. श्री रामनाथ प्रसाद, पर्यवेक्षक 3. श्री नीरज कुमार–IV, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	
7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	श्री अरूण कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी	
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।	
9	लेखापरीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।	
10	क्या आपत्तियों पर विचार विमर्श हुआ?	हाँ, दिनांक– 18.07.2017 को अंकेक्षण आपत्तियों पर कार्यपालक पदाधिकारी से विचार–विर्मश किया गया।	

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

(Disclaimer Certificate)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई **नगर पंचायत– महाराजगंज (सीवान)** के द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भाग–II (क)

शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका– (1): राजस्व वसूली की राशि जमा नहीं– रू0 0.99 लाख

(क) नगर पंचायत– महाराजगंज (सीवान) द्वारा उपलब्ध कराए गए राजस्व वसूली से संबंधित रोकड़बही, भंडार पंजी एवं बैंक पास बुक की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा व्यापार कर (ट्रेड लाईसेंस) रसीद एवं 'एच' रसीद के माध्यम से संग्रह की गई कुल रू0 99,400.00 राशि की प्रविष्टि रोकड़बही में नहीं की गई थी एवं न ही इस राशि को बैंक खाते में जमा किया गया था। संग्रह की गई उक्त राशि लेखापरीक्षा की तिथि तक संबंधित कर संग्राहकों के पास ही पड़ी हुई थी। विवरण निम्नांकित है–

क.सं.	रसीद संख्या	संग्रह की गई राशि (रू0)	संग्रहकर्ता का नाम	मद का नाम
1	101–125	17,500.00	श्री टुनटुन प्रसाद	व्यापार कर (TL)
2	01–25	17,500.00	श्री बिरेन्द्र कुमार राय	
3	201–225	46,000.00	श्री टुनटुन प्रसाद	
4	51–56	9,000.00	श्री अंशु कुमार सिंह	
5	194–200	7,000.00	श्री टुनटुन प्रसाद	
6	76	500.00	प्रत्यूष कुमार गौतम	
7	98	1,000.00		
8	100	200.00		
9	1650	700.00		होर्ल्डिग कर
	कुल	**99,400.00**		

(ख) रसीदों से संबंधित भंडार पंजी की जाँच के क्रम में पाया गया कि निम्नांकित व्यापार कर रसीदें विभिन्न कर संग्राहकों को करों की वसूली हेतु निर्गत किया गया था परंतु, उन्हें लेखापरीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया –

क. सं.	व्यापार कर रसीद संख्या	कर संग्राहकों को निर्गत तिथि	संग्रहकर्ता का नाम
1	151–175	26.04.2016	श्री विजय कुमार प्रजापति
2	226–250	07.04.2017	श्री टुनटुन प्रसाद
3	251–275	29.04.2017	श्री टुनटुन प्रसाद

जवाब में बताया गया कि संग्रह की गई उपरोक्त राशि को बैंक में जमा कर दी जाएगी एवं अप्रस्तुत रसीदों को अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी।

जवाब के आलोक में नहीं जमा की गयी राजस्व संग्रह की राशि रू0 99,400.00 को नगर पंचायत कोष में यथाशीघ्र जमा कर संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए तथा कमांक– (ख) में वर्णित अप्रस्तुत रसीदों को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका– (2): सामग्री ढुलाई पर अनियमित व्यय एवं कार्य आवंटन में संवेदक को अदेय सहायता– रू0 2.16 लाख

योजना सं0/वर्ष एवं मद का नाम	59/2015–16; पेशाकर मद
योजना का नाम	वार्ड सं0 8 में सर्वजित सिंह के घर से रामाशंकर तिवारी के घर तक पी.सी.सी. रोड का निर्माण कार्य
प्राक्कलित राशि	रू0 5,86,180.00
तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता, DUDA द्वारा दिनांक– 07.12.2015
एकारारनामा राशि	रू0 5,86,180.00
एकारारनामा सं0 एवं मापी पुस्त सं0	07/F_2/2016–17; मापी पुस्त सं0 117/2016–17
संवेदक का नाम	श्रीमती मधुबाला देवी
कार्यादेश की तिथि	24.05.2016
कार्य समाप्ति की निर्धारित अवधि	12 माह
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	15.07.2016

लेखापरीक्षा आपत्तिः

1. **ढुलाई पर अनियमित भुगतानः**– अभिकर्ता या संवेदक द्वारा यदि लघु खनिज का क्रय किया जाता है तो बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा विपत्र के साथ लघु खनिजों का विवरण प्रपत्र N में तथा शपथ पत्र प्रपत्र M में छायाप्रति सहित कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सकें। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाए जाने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज का खनन अवैध मानते हुए इसपर देय स्वामित्व (रायॅल्टी) के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती किए जाने का प्रावधान है। उपरोक्त योजना में संवेदक से प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था जिससे ज्ञात होता है कि लघु खनिजों का क्रय विस्तृत प्राक्कलन में उल्लेखित नियत स्थलों से नहीं

किया गया था। अतः, लघु खनिजों ढुलाई पर रू0 2,161,98.00 राशि का किया गया भुगतान अनियमित था। विवरण निम्न है–

क्र. सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर (रू0)	ढुलाई पर कुल व्यय (रू0)
1	सोन बालू	36.51 m^3	897.91	32,783.00
2	GSB	16.83 m^3	1,586.02	26,693.00
3	स्टोन चिप्स	73.03 m^3	2146	1,56,722.00
कुल				**2,16,198.00**

2. **निर्माण के गुणवत्ता संबंधी प्रतिवेदन का नहीं पाया जाना**:– कार्यादेश की शर्तों के अनुसार उपरोक्त कार्य का तकनीकि प्रशासनिक पर्यवेक्षण नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अभियंता एवं पदाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा निर्माण की गुणवत्ता संबंधी उनका प्रतिवेदन ही अंतिम एवं मान्य होगा। परन्तु, संचिका में उक्त प्रतिवेदन संलग्न नहीं था। इस प्रकार, निर्माण के गुणवत्ता संबंधी प्रतिवेदन के बिना ही संवेदक को पूर्ण भुगतान कर दिया गया था।

3. **मशीनों एवं संयंत्रों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना**:– मानक निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार मशीनों एवं संयंत्रों के किराए पर लेने की स्थिति एवं स्वामित्व होने पर उक्त मशीनों एवं संयंत्रों का भैतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तकनीकी बीड में समर्पित किया जाएगा, परन्तु संविका में भौतिक सत्यापन से संबंधित कोई प्रमाणपत्र नहीं पाया गया।

4. **निविदा प्रकिया में अनियमितता**:– संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निविदा प्रकिया मानक निविदा आमंत्रण सूचना के निर्धारित शर्तो के अनुरूप नहीं किया गया था। सफल निविदाकार के तकनीकी निविदा में कई कमियाँ थीं, यथा– (1) आयकर से संबंधित प्रमाण–पत्र (2) औजार एवं संयंत्र संबंधी दस्तावेज (3) निविदाकार के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं होने एवं किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted नहीं करने तथा निकटतम संबंधी नहीं होने से संबंधित शपथ–पत्र (4) संवेदक के अधीन लंबित कार्यों की राशि सहित सूची संलग्न नहीं थी। तकनीकि निविदा में उक्त कमियों के पाए जाने के बावजूद संवेदक को उक्त कार्य का आवंटन किया गया था।

अंकेक्षण आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में निर्धारित प्रकिया का अनुपालन किया जाएगा। जवाब के अनुरूप उचित अनुपालन किया जाए।